



राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति  
स्वास्थ्य भवन, जयपुर


एफ 29 (87) एनआरएचएम/एमएमजेआरके/बी.ए./13/1456

दिनांक 31/03/2013

कार्यालय आदेश

मुख्यमंत्री बी.पी.एल जीवन रक्षा कोष योजना में बी.पी.एल परिवारों के मरीजों को राजकीय चिकित्सालयों में सम्पूर्ण ईलाज निःशुल्क उपलब्ध कराने के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2013-14 की पालना में दिनांक 01.04.2013 से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है।


बी.पी.एल परिवारों के मरीजों का हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग का ईलाज चिन्हित निजी चिकित्सालयों में करवाने पर 1 लाख रुपये तक की सहायता राशि उपलब्ध करवाई जावेगी। उक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में जारी मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना, परिपत्र, राज्यादेश एवं परिशिष्ट के प्रारूप - (यथा संशोधित) संलग्न किये जा रहे हैं।

  
प्रमुख शासन सचिव  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय शासन सचिवालय जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री शासन सचिवालय जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
6. अतिरिक्त सचिव एवं मिशन मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार नई दिल्ली।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान।
11. निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं प.क. एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जयपुर।
12. समस्त जिला कलक्टर राजस्थान।
13. निदेशक आईईसी/जन स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/एड्स स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

14. परियोजना निदेशक, एनआरएचएम/एमएमजेआरके, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
15. समस्त प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज राजस्थान।
16. निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन जयपुर।
17. समस्त अधीक्षक मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय राजस्थान।
18. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् राजस्थान।
19. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
20. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजकर लेख है कि वे अपने स्तर से समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को परिपत्र की प्रति भिजवायें।
21. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला/सैटेलाईट/उप खण्ड चिकित्सालय, राजस्थान।
22. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
23. प्रभारी सर्वर रुम कृपया संबंधित को ई-मेल करवाये एवं विभाग की संबंधित वैबसाईट पर अपलोड करवाये।
24. सलाहकार (आईटी) एमएमजेआरके को भेजकर लेख है कि कृपया परिपत्र को एमएमजेआरके के सॉफ्टवेयर एवं संबंधित वैबसाईट पर अपलोड करवाये।

  
प्रमुख शासन सचिव  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग